

PHREI AN USIUM The Gazette of India

भसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।।—खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 456] No. 456] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 10, 2016/अग्रहायण 19, 1938

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 10, 2016/AGRAHAYANA 19, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2016

ए.डी.एम/आर.ई.सी/25/2011.— कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम. 1985 (1986 का 2) के भाग 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण संशोधित (भर्ती) विनियम, 2011 एतद्वारा निम्न प्रकार से संशोधित हैं, अर्थात :-

- 1. इन विनियमों की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (भर्ती) पुनरीक्षित संशोधित विनियम-2016 के नाम से पारिभाषित किया जाए।
- 2. ये राजपत्र में प्रकाशन तारीख़ से प्रवृत होंगे।
- 3. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विनियम (भर्ती) संशोधन विनियम, 2011 को में:-

पद संख्या - 5 (सहायक महाप्रबंधक) के कॉलम संख्या 12 के अनुसूची में संशोधन

वर्तमान प्रावधान

(1) लेखा प्रबंधक अथवा अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव के पद पर कार्य करने का पांच वर्षों का अनुभव अथवा फील्ड अधिकारी, विष्ठ कार्यालय कार्यकारी, लेखापाल, कार्यकारी अधिकारी (ई.डी.पी) / पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा किनष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर कार्य करने का आठ वर्षों का अनुभव।

इस रूप में पढ़े जाएं

(1) लेखा प्रबंधक अथवा अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव के पद पर कार्य करने का पांच वर्षों का अनुभव।

या

फील्ड अधिकारी / वरिष्ठ कार्यालय कार्यकारी / लेखापाल/ कार्यकारी अधिकारी (ई.डी.पी) / पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा किनष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद कार्य करने का आठ वर्षों का अनुभव 2 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART III SEC. 4]

(2) आवश्यक योग्यता : यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त एम.बी.ए डिग्री

अनीता प्रवीण, अध्यक्षा, एपीडा

[विज्ञापन.-।।।/4/असा./338(166)]

पाद टिप्पणी : 28 अप्रैल,2011 की अधिसूचना एफ. संख्या. एपीडा/ए.डी.एम.एन/आर.ई.सी/25/2001 द्वारा प्रधान विनियम को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2016

No. ADM/REC/25/2011. — In exercise of powers conferred by Section 33 of the Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), the Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority, with the previous sanction of Central Government, hereby amend the Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (Recruitment) Revised Regulations-2011 in the following manner namely:-

- 1. These regulations may be called the Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (Recruitment) Revised amendment Regulations-2016.
- They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (Recruitment) Revised Regulations-2011 is amended as:-

Amendment to the schedule at column no. 12 of the post no. 5 (Assistant General Manager)

Existing Provision	Read as
Secretary to Chairman and with 8 years	
regular service on the posts of Field Officer, Sr. Office Executive, Accountant, Executive Officer (EDP), Librarian and Junior Hindi Translator	OR With 8 years regular service on the posts of Field Officer/Sr. Office Executive / Accountant /Executive Officer (EDP) /
raisiatoi	Librarian / Junior Hindi Translator (2) Essential Qualification: MBA degree from an UGC

ANITA PRAVEEN, Chairperson, APEDA

[ADVT.-III/4/Exty./338/166]

Footnote: The Principal Regulation was published by notification F. No. APEDA/ADMN/REC/25/2001 dated 28th April, 2011

+05'30"